

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 मई 2018—वैशाख 26, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-16-2018-1-पांच (44).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 2017 का 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु 27 दिसम्बर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस, का अधित्यजन करती है:—

परंतु, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटीटीआरएन-1 में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व उन प्रत्येक महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-16-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2018-1-पांच(44), दिनांक 16 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th May 2018

F-A-3-16-2018-1-V-(44).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act for failure to furnish the return in FORM GSTR-3B by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018 for the class of registered persons whose declaration in FORM GST TRAN-1 was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017:

Provided that such registered persons have filed the declaration in FORM GST TRAN-1 on or before the 10th day of May, 2018 and the return in FORM GSTR-3B for each of such months, on or before the 31st day of May, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.